



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद्र 11, 1941

No. 503]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 619(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (7क) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (2) के खंड (ककक) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 में,-

(क) नियम 2 में, खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ठक). “मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती” का वही अर्थ होगा जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) में है ;”;

(ख) नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“9(1). मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के लिए किसी विदेशी साम्या विनिधान के लिए कोई सीमा नहीं होगी।

(2) इस नियम के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के अधीन रहते हुए स्वचालित मार्ग के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा तथा मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों में विदेशी विनिधान को निबंधनानुसार शासित किया जाएगा जैसा कि नियम 7 और नियम 8 के अधीन उपबंध किया गया है:—

परंतु जहां बैंक जैसी कोई अस्तित्व, जिसका मूल व्यापार बीमा क्षेत्र से बाहर है, किसी बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाता है, उस सेक्टर में लागू सीमा विदेशी साम्या विनिधान उस शर्त के अधीन रहते हुए लागू होती रहेंगी कि मूल (गैर-बीमा सम्बन्धित) कारबार से ऐसे अस्तित्वों के राजस्व किसी वित्तीय वर्ष में उसके कुल राजस्वों का उपरोक्त पचास प्रतिशत से अधिक अवश्य रहना चाहिए।

3. बीमा मध्यवर्ती, जो विदेशी विनिधान कर्ताओं के बहुसंख्यक शेयर धारण कर्ता हैं, निम्नलिखित करेंगे —

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन सीमित कंपनी के रूप में निगमित किया जाएगा;
 - (ii) निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष अथवा बीमा मध्यवर्ती का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रधान अधिकारी या प्रबंध निदेशक में से कम से कम एक भारतीय निवास का नागरिक होगा;
 - (iii) संप्रत्यावर्तनकारी लाभांश के लिए प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा ली जाएगी;
 - (iv) नवीनतम प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय और अन्य कौशल लाएगा;
 - (v) विदेशी समूह या संप्रवर्तक अथवा समनुषंगी या अंतरसंबंध या सहयोगी अस्तित्वों को उससे परे संदाय नहीं किया जाएगा जो आवश्यक है या जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाता है;
 - (vi) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले रूपविधानों में उसके समूह या संप्रवर्तक अथवा समनुषंगी या अंतरसंबंध या सहयोगी अस्तित्वों के लिए सभी संदायों का प्रकटन करेगा;
 - (vii) निदेशक बोर्ड की संरचना और मुख्य प्रबंधक व्यक्ति वे होंगे जो सम्बद्ध विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट किए जाए।
- (ग) नियम 10 में, “भारतीय बीमा कंपनी” शब्दों के पश्चात्, “मध्यवर्ती और बीमा मध्यवर्ती” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 13011/19/2013-बीमा-II]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115(अ), तारीख 19 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534(अ), तारीख 3 जुलाई, 2015 और सा.का.नि. 314(अ), तारीख 16 मार्च, 2016 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2019

G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with clause (b) of sub-section (7A) of section 2 of the said Act and section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015,-
 - (a) in rule 2, after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:-
 - (la) "intermediary or insurance intermediary" shall have the meaning assigned to it in clause (f) of sub-section (1) of section 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;"
 - (b) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

“9. (1) There shall be no cap to foreign equity investment for intermediaries or insurance intermediaries.

(2) The foreign direct investment proposals under this rule shall be allowed under the automatic route subject to verification by the Authority and the foreign investment in intermediaries or insurance intermediaries shall be governed by the same terms as provided under rules 7 and 8:

Provided that where an entity like a Bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Authority to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from the primary (non-insurance related) business must remain above 50 per cent. of their total revenues in any financial year.

(3) The insurance intermediary that has majority shareholding of foreign investors shall undertake the following:

- (i) be incorporated as a limited company under the provisions of the Companies Act, 2013;
- (ii) at least one from among the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer or Principal Officer or Managing Director of the insurance intermediary shall be a resident Indian citizen;
- (iii) shall take prior permission of the Authority for repatriating dividend;
- (iv) shall bring in the latest technological, managerial and other skills;
- (v) shall not make payments to the foreign group or promoter or subsidiary or interconnected or associate entities beyond what is necessary or permitted by the Authority;
- (vi) shall make disclosures in the formats to be specified by the Authority of all payments made to its group or promoter or subsidiary or interconnected or associate entities;
- (vii) composition of the Board of Directors and key management persons shall be as specified by the concerned regulators;

(c) in rule 10, after the words “Indian Insurance Company,”, the words ‘intermediary and insurance intermediary’ shall be inserted.

[F. No. 13011/19/2013-Ins. II]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 115(E), dated the 19th February, 2015 and subsequently amended by notifications number G.S.R. 534(E), dated the 3rd July, 2015 and G.S.R. 314(E), dated the 16th March, 2016.